आयुक्त राज्य कर छत्तीसगढ़, रायपुर

आदेश क्रमांक 05 / 2017-जीएसटी

रायपुर, दिनांक : 28 अक्टूबर, 2017

विषय : प्रशमन उद्ग्रहण के विकल्प का प्ररूप जीएसटी सीएमपी—03 में प्रस्तुत करने की पूर्ववर्ती तारीख को धारित स्टॉक के विवरण की सूचना प्रस्तुत करने की समय—सीमा में वृद्धि।

क्रमांक सीजीएसटी /01 / 2017 (10) — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) की धारा 168 के साथ पिटत छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 3 के उप—िनयम (4) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान करने के विकल्प का प्ररूप जीएसटी सीएमपी— 03 में प्रस्तुत करने के पूर्ववर्ती तारीख को धारित स्टॉक के विवरण की सूचना प्रस्तुत करने की अविध 30 नवंबर, 2017 तक बढायी जाती है।

(संगीता पी.)

राज्य कर आयुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

Commissioner of State Tax Chhattisgarh, Raipur

Order No. 05/2017-GST

Raipur, 28th October, 2017

Subject: Extension of time limit for intimation of details of stock held on the date preceding the date from which the option for composition levy is exercised in FORM GST CMP-03

No./CGST/01/2017 (10) - In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 3 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 read with section 168 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017, on the recommendations of the Council, the period for intimation of details of stock held on the date preceding the date from which the option to pay tax under section 10 of the Act is exercised in **FORM GST CMP-03** is extended till 30th November, 2017.

(Sangeetha P.) Commissioner, State Tax Chhattisgarh, Raipur